भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 995

सोमवार 29 जुलाई, 2024/07 श्रावण, 1946 (शक)

ईपीएफ योजनाओं में नामांकन का डेटा

995. डॉ. के सुधाकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देशभर में ईपीएफ योजनाओं के अंतर्गत किए गए नए नामांकनों की कुल संख्या के संबंध में कोई डेटा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, विशेषकर कर्नाटक राज्य के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईपीएफ पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति से जुड़ी पेंशन वृद्धि मिल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कर्नाटक में चिकबल्लापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु ईपीएफ पेंशन न मिलने का कोई मामला दर्ज किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या चिक्काबल्लापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के श्रमिकों के संबंध में कोई श्रम विवाद लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लंबित श्रम विवादों को तेजी से निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): दिनांक 15.05.2024 की स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए देश भर में ईपीएफ योजना के तहत नए अभिदाताओं की कुल संख्या 1,09,93,119 थी।

(ख): दिनांक 15.05.2024 की स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नए ईपीएफ अभिदाताओं का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग): ईपीएस 95 एक परिभाषित योगदान परिभाषित लाभ योजना है। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस-1995) के तहत कामगारों की मासिक पेंशन को जीवन यापन लागत सूचकांक के साथ जोड़ने की मांग पर ईपीएस-1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति द्वारा विचार किया गया था और ईपीएस-1995 जैसी वित्त पोषित योजना के लिए इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया। इसलिए लाभ के मूल्य को परिवर्तनशील मुद्रास्फीति के साथ किसी निश्चित सीमा में निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

जारी...2/-

(घ): कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए ईपीएफ पेंशन प्राप्त न होने के खिलाफ क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, येलहंका में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ): केन्द्रीय क्षेत्र में चिक्काबल्लापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कामगारों का कोई श्रम विवाद लंबित नहीं है।

* ******

अनुबंध

'ईपीएफ योजनाओं में नामांकन का डेटा' के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 995 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 15.05.2024 की स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़े	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नए ईपीएफ अभिदाताओं की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2,193
आंध्र प्रदेश	252,688
अरुणाचल प्रदेश	2,645
असम	69,519
बिहार	124,575
चंडीगढ़	112,906
छत्तीसगढ़	110,816
दिल्ली	776,891
गोवा	49,951
गुजरात	881,243
हरियाणा	744,828
हिमाचल प्रदेश	82,402
जम्मू और कश्मीर	36,718
झारखंड	103,266
कर्नाटक	**1,195,998**
केरल	196,876
लद्दाख	576
मध्य प्रदेश	272,828
महाराष्ट्र	2,116,863
मणिपुर	1,956
मेघालय	5,407
मिजोरम	690
नागालैंड	1,602
ओडिशा	171,312
पंजाब	139,238
राजस्थान	383,731
तमिलनाडु	1,191,562
तेलंगाना	707,854
त्रिपुरा	4,165
उत्तर प्रदेश	629,541
उत्तराखंड	154,129
पश्चिम बंगाल	468,150
कुल योग	**10,993,119**

*****